स्थापना : 1959 पंजीयन क्र.: 59

छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज,रायपुर (छ.ग.)

चौ. देवीलाल व्यापार उद्योग भवन. द्वितीय तल, बॉम्बे मार्केट, रायपुर (छ.ग.) 492001

Chhattisgarh Chamber of Commerce & Industries, Raipur (C.G.)

Ch. Devilal Vyapar Udyog Bhawan, 2nd Floor, Bombay Market, Raipur (C.G.) INDIA

CCCI

Ph.: 0771-2539275, 4034572 , Fax : 0771-2539275

Website : www.cgchamber.org Email : info.cgchamber@gmail.com

प्रति, रायपुर, दिनांक: 19 मई 2020

श्रीमान जिला दंडाधिकारी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जिला रायपुर

विषय: जिले के व्यापार दुकानों यथा फोटो स्टूडियो, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि को व्यापार-दुकान खोलने की अनुमति हेतु

महोदय,

हमारे लगभग सुझावों को स्वीकार कर 18 मई से लगभग समस्त व्यापार को आपके द्वारा अनुमति दिए जाने के लिए धन्यवाद

आपसे अनुरोध है जनहित में निम्नानुसार व्यापार-दुकानों-उपक्रमों को भी कल 20मई 2020 से अनुमति देवें:

फोटो स्टूडियो: राशन कार्ड,ऑनलाइन एग्जाम,रजिस्ट्री, यात्रा पास, बैंक खाता के लिए खोला जाना आवश्यक है

फोटो कॉपी एवं टायपिंग दुकानें: स्टूडेंट्स, रजिस्ट्री इत्यादि के लिए आवश्यक है

नोट बुक्स(कॉपी),रजिस्टर,फाइल्स निर्माता: निर्माण की अनुमति न होने से बाज़ार में कमी हो रही है, अधिकांश निर्माता शहर सीमा के अन्दर हैं, यह न्यूनतम वर्कर्स के साथ संचालित होता है

प्रिंटिंग एवं पेपर : व्यापारियों को बिल बुक्स ख़त्म हो गई है, दुकानों में कोरोना सम्बन्धी दिशा निर्देश लगाये जाने हैं अतः स्क्रीन प्रिंटिंग, सामान्य प्रिंटिंग,आफसेट प्रिंटिंग,फ्लेक्स प्रिंटिंग की अनुमति जरुरी है और नोट बुक्स बनाये जाने के लिए पेपर दुकानों-गोदामों को अनुमति देना आवश्यक है

घरेलु एवं लघु- कुटीर उपक्रम: छोटी सी पूंजी से घरों/मकानों में चलने वाले कुछ उपक्रम हैं जो 10 से कम वर्कर्स के साथ जो मसाला, नमकीन, मिठाई बॉक्स इत्यादि बनाते हैं

मोबाइल रिचार्ज: मोबाइल रिचार्ज की दुकानों को आपके द्वारा 5 दिन की अनुमति दी गई थी लेकिन सूची में चूकवश लिखा नहीं गया है परिणामस्वरूप उन्हें पुलिस कर्मियों द्वारा बार बार बंद करवाया जा रहा है

इसी तरह जिन व्यापार दुकानों को आपने 5 दिन खोलने की अनुमति है चाहे वे किसी भी सड़क/बाज़ार में हों -सूची में स्पष्ट नहीं लिखे जाने से पुलिस कर्मियों द्वारा दुकाने बंद करने कहा जा रहा है, जबकि नगर निगम उप आयुक्त ने भी अनुमति दिए जाने की पुष्टि की है

जूता-चप्पल थोक दुकानों को 5दिन अनुमति हेतु : पुरे प्रदेश में जूता चप्पल का सबसे बड़ा थोक बाज़ार राजधानी रायपुर में है- नगर निगम द्वारा शहर के अंतिम छोर पर बनाया गया इस बाज़ार की अंदरूनी सड़कें भी 60 फीट चौड़ी है,फोन और व्हाट्स एप से बुकिंग होती है, माल भेजने में समय लगता है अतः इन्हें सप्ताह में 5 दिन दिया जाना उचित होगा

पंडरी स्थित थोक रेडीमेड एवं कपडा बाज़ार को 5 दिन किया जाये: पुरे प्रदेश का एकमात्र थोक होजियरी और कपडे का बाज़ार राजधानी रायपुर में है, आपके द्वारा दो दिन की अनुमति दी गई है लेकिन उससे अन्य जिलों में मांग अनुसार आपूर्ति नहीं हो पा रही है अतः इन्हें सप्ताह में 5 दिन सुबह 9 से 5 की अनुमति दिया जाना उचित होगा

महोदय, आपके द्वारा जारी आदेश में जिन बाजारों-सड़कों को दायें बाएं दो -दो दिन खोलने की अनुमति दी गई है उन सड़कों/बाज़ारों में जो भी छोटे बड़े अन्य व्यवसाय हैं जिन्हें वर्गीकृत सूचि में शामिल नहीं किया जा सका/सकता है जैसे घडी,चश्मा, ट्रेवल एजेंसी इत्यादि ऐसे समस्त व्यापारों दुकानों को भी साथ साथ खोलने की अनुमति दी जाये

पुनः अनुरोध है कृपया उपरोक्त समस्त पर उचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें

विनीत:

रमेश गाँधी, चेयरमैन
M: 7000828500

जितेन्द्र बरलोटा, प्रदेश अध्यक्ष
M: 9425203200

चैम्बर हेल्प डेस्क टीम:

प्रकाश अग्रवाल	लोकेश जैन	अश्वनी विग	प्रकाश लालवानी
कोषाध्यक्ष	उपाध्यक्ष	मंत्री	मंत्री
M: 9302406464	M: 9425214021	M: 9826132208	M: 9827124318